भारतीय साक्ष्य अधिनियम-1872

मूख्य धारायें–

5– विवाद्यक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का दिया जा सकेगा
6– एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति
7– वे तथ्य जो विवाद्यक तथ्यों परिणाम है। के प्रसंग, हेतुक या
8– हेतु तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण
9– सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनःस्थापना के लिए आवश्यक तथ्य
10– सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें
11– वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नही है कब सुसंगत हो जाते है
12– नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत है
13– जबकि अधिकार या रूढि प्रश्नगत है तब सुसंगत तथ्य
14– मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाल तथ्य
15– कार्य आकस्मिक या साशय था इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य
16– कारबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है

स्वीकृति

17– स्वीकृति की परिभाषा
18– स्वीकृति कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा
19– उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियॉ जिनकी स्थिति कार्यवाही पक्षकारो के विरूद्ध साबित की जानी चाहिए

20– वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियॉ
21– स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना
22– दस्तावेजों की अंर्तवस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियॉ कब सुसंगत होती है
22क– इलैक्ट्रानिक अभिलेखों की अंर्तवस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियॉ कब सुसंगत होती है
23– सिविल मामलो में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती है
24– उत्प्रेरणा धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है
25– पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित न किया जाना
26– पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरूद्ध साबित न किया जाना
27– अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी
28– उत्प्रेरणा धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने पश्चात की गयी संस्वीकृति सुसंगत है
29– अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति का गुप्त रखनें के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना
30– साबित संस्वीकृतियों को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है विचार में लेना
31– स्वीकृतियॉ निश्चायक सबूत नही है किन्तु विबन्ध कर सकती है
32– मृत्युकालिक कथन

33– किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति
40– द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्व निर्णय कब सुसंगत है
44– निर्णय अभिप्राप्त करने मे कपट या दुरभिसंधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी
45– विशेषज्ञों की रायें
45क– इलैक्ट्रानिक साक्ष्य के परीक्षक की राय
46– विशेषज्ञों की रायों से सम्बन्धित तथ्य
47– हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है।
47क– अंकीय हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है
48– अधिकार या रूढि के अस्तित्व के बारे में रायें कब सुसंगत है
49– प्रथाओं सिद्धान्तों आदि के बारे में रायें कब सुसंगत है
50– नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है
51– राय के आधार कब सुसंगत है
52– सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने मे लिए शील विसंगत है
53– दांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है
54– उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत है
55– नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील
56– न्यायिक रूप से अपेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नही है
57– वे तथ्य, जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को करनी होगी
58– स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नही है
60– मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए
64– दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना

65– अवस्थायें जिनमें दस्तावेजों के सम्बध में द्वितीयक साक्ष्य दिए जा सकेगे
69– जब किसी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चलें तब सबूत
72– उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपुक्षित नही है
73– हस्ताक्षर लेख, या मुद्रा की तुलना अन्यों से जो स्वीकृत या साबित है
79– प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा
90– तीस वर्ष पुरानी दस्तावेंज के बारे में उपधारणा
101– सबूत का भार
102– सबूत का भार किस पर होता है
103– विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार
104– साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो, उसे साबित करने का भार
105– यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है
106– विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार
110– स्वामित्व के बारे में सबूत का भार
112– विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है
113क–किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा
113ख–दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा
114– न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा

114क–बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन के सम्मत्ति न होने के बारे में उपधारणा
115– विबन्ध
119– मूक साक्षी
133– सह–अपराधी
134– साक्षियों की संख्या
137– मुख्य परीक्षा
141– सूचक प्रश्न
142– उन्हें कब नही पूछना चाहिए
143– उन्हे कब पूछा जा सकेगा
147– साक्षी का उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए
150– युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया
151– अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न
152– अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न
154– पक्षद्रोही साक्षी
155– साक्षी की विश्वसनीयता पर आक्षेप
159– स्मृति ताजा करना
161– स्मृति ताजा करने कि लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार
162– दस्तावेजों का पेश किया जाना
165– प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति
167– साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के लिए नवीन विचारण न होना